भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *227

दिनांक 16 दिसम्बर 2025 / 25 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नए दंड विधान

***227 श्री सतीश कुमार गौतमः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए दंड विधान लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या नए दंड विधान में सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227, दिनांक 16.12.2025

"नए दंड विधान" के संबंध में दिनांक 16.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *227 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सभी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, भारत सरकार ने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 और भारत साक्ष्य अधिनियम (आईईए), 1872 को क्रमश: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनयम (बीएसए), 2023 के साथ बदल दिया है। ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गए हैं।

ये नए कानून पुराने औपनिवेशिक युग की कानूनी संरचनाओं में बदलाव लाए हैं और इनमें नागरिक-केंद्रित/पीड़ित उन्मुख प्रावधान तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम न्याय प्रणाली शामिल है। नए आपराधिक कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण सुधार जो औपनिवेशिक मानसिकता से बदलाव को दर्शाते हैं, इस प्रकार हैं: -

i. बीएनएसएस, 2023 ने "पागल व्यक्ति" और "विकृत दिमाग के व्यक्ति" जैसे पुराने और आक्रामक शब्दों को "मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति" या "बौद्धिक विकलांगता" जैसे वाक्यांशों से बदल दिया है।

ii. बीएसए, 2023 में, "यूनाइटेड किंगडम की संसद", "लंदन गजेट", "महारानी की सरकार" तथा अन्य अप्रचलित औपनिवेशिक शब्दों को अप्रासंगिक के रूप से हटा दिया है। इसके अलावा, वर्तमान कानूनी प्रथा के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए 'वकील', 'प्लीडर' और 'बैरिस्टर' जैसे पुरातन शब्दों को एकीकृत शब्द 'वकील' से बदल दिया गया है।

iii. राजद्रोह से संबंधित धारा, जो औपनिवेशिक मूल की थी, को हटा दिया गया है और बीएनएस, 2023 की धारा 152 के साथ बदल दिया गया है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडनीय अपराध बनाती है।

iv. नए कानून सुलभता, पारदर्शिता और दक्षता पर मजबूती से ध्यान देने के साथ आपराधिक प्रक्रिया को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कई मौलिक सुधार शामिल करते हैं। ये सुधार अधिक नागरिक-केंद्रित, सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227, दिनांक 16.12.2025

v. नए कानूनों में पीड़ित केंद्रित प्रावधान हैं और ये महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।

vi. न्यायिक प्रक्रिया में गति, दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा फोरेंसिक के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास पैदा हुआ है।

दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाले नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों का ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

****

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 227, दिनांक 16.12.2025

अनुलग्नक

(क) पीड़ित केंद्रित प्रावधान

i. घटनाओं की रिपोर्ट ऑनलाइन करना: अब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है और इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित हो जाती है, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई हो जाती है।

ii. किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना: जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकता है। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म हो जाती है और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित होता है।

iii. एफआईआर की निःशुल्क प्रति: पीड़ित, एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

iv. गिरफ्तारी के समय सूचना देने का अधिकार: गिरफ्तारी की स्थिति में, व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा।

v. गिरफ्तारी की जानकारी का प्रदर्शन: अब प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिले में आवश्यक रूप से एक नामोदिष्ट पुलिस अधिकारी मौजूद होगा, जिसकी रैंक सहायक पुलिस निरीक्षक से नीचे का नहीं होगी और गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की जानकारी अब प्रत्येक पुलिस स्टेशन में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। यह दोषी व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा करता है और हिरासत में हिंसा की घटनाओं तथा पुलिस द्वारा अवैध नजरबंदी का प्रशमन करता है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227, दिनांक 16.12.2025

vi. पीड़ितों को प्रगति संबंधी अपडेट: पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति के बारे में अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान पीड़ितों को सूचित रखता है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।

vii. पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति: अभियुक्त और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट/आरोपपत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।

viii. गवाह संरक्षण योजना: नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने, कानूनी कार्यवाही की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गवाह संरक्षण योजना को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया है।

ix. पुलिस स्टेशन जाने से छूट: महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है।

x. यह अनिवार्य किया गया है कि बीएनएसएस की धारा 360 में अभियोजन को वापस लेने से पहले पीड़ित के पक्ष को सुना जाए। पीड़ित के पक्ष को सुने जाने के अधिकार की सांविधिक मान्यता आपराधिक न्याय प्रणाली के न्याय केंद्रित दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मामलों को वापस लेने से संबंधित कार्यवाहियों में पीड़ित के पक्ष को अनिवार्य रूप से सुनने से, न्याय प्रणाली अपराध से सीधे तौर पर पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति अधिक जवाबदेह बन गई है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227, दिनांक 16.12.2025

(ख) महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान :

i. बीएनएस के नये अध्याय–V में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को अन्य सभी अपराधों से अधिक प्राथमिकता दी गई है।

ii. बीएनएस, 2023 में, सामूहिक बलात्कार के अवयस्क पीड़ितों के लिए उम्र संबंधी अंतर को हटा दिया गया है। इससे पूर्व 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के सामूहिक बलात्कार के लिए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया गया था। इस प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है और अब अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला के सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।

iii. महिलाओं को परिवार के एक वयस्क सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो उस व्यक्ति के स्थान पर समन प्राप्त कर सकती है, जिसे समन भेजा गया है। 'किसी वयस्क पुरुष सदस्य' से संबंधित पूर्ववर्ती संदर्भ को बदलकर 'किसी वयस्क सदस्य' कर दिया गया है।

iv. पीड़ित को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के किसी अपराध की जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पीड़ित के बयान को पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

v. महिलाओं के प्रति कुछ विशेष अपराधों के मामले में, पीड़ित का बयान, जहां तक संभव हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथा उसके अनुपस्थित होने की स्थिति में एक महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके तथा पीड़ितों के लिए सहायक वातावरण बनाया जा सके।

vi. चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे बलात्कार के किसी पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जांच अधिकारी को सौंपेंगे।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227, दिनांक 16.12.2025

vii. यह प्रावधान किया गया है कि पंद्रह वर्ष से कम या 60 वर्ष (पूर्व में 65 वर्ष) से अधिक आयु के किसी पुरुष व्यक्ति या किसी महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति अथवा महिला रहती है। उन मामलों में जहां ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए राजी हो, तो उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

viii. नए कानून सभी अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों के स्वास्थ्य और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुँच सुनिश्चित करता है।

ix. किसी अपराध के लिए बच्चों को मजदूरी देकर रखने, इस्तेमाल करने अथवा उन्हें काम पर लगाने को, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 95 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए न्यूनतम सात वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य गिरोहों या समूहों को अपराध करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करने/मजदूरी देकर रखने से रोकना है।

(ग) प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक के उपयोग संबंधी प्रावधान :

i. न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए, ई-सम्मन, ई-साक्षी और न्याय-श्रुति (वीसी) जैसे ऐप्लीकैशन विकसित किए गए हैं। ई-समन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से समन की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। ई-साक्षी वैध, वैज्ञानिक और छेड़छाड़-रहित संग्रह, संरक्षण और डिजिटल साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और कम देरी होती है। न्याय-श्रुति (वीसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति की सुविधा प्रदान करता है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227, दिनांक 16.12.2025

ii. फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी: मामले को मजबूत करने और जांच के लिए, फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और ऐसे अपराध, जिनके लिए 7 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है, के लिए साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। यह दोहरा दृष्टिकोण जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है तथा न्याय की निष्पक्ष प्रक्रिया में योगदान देता है।

iii. इलेक्ट्रॉनिक समन: अब समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और सभी संबंधित पक्षों के बीच कुशल संचार सुनिश्चित होगा।

iv. सभी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में: सभी कानूनी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करके, नए कानून पीड़ितों, गवाहों और अभियुक्तों को सहूलियत प्रदान करते हैं, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और त्वरित हो जाती है।

(घ) समयसीमा :

i. त्वरित और निष्पक्ष निपटान: नए कानून मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान का भरोसा देते हैं, जिससे विधिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न होता है। प्राथमिक जांच (14 दिन में पूरी की जानी), बाद की जांच (90 दिन में पूरी की जानी), पीड़ित और आरोपी को दस्तावेज उपलब्ध कराना (14 दिन के भीतर), विचारण हेतु किसी मामले की प्रतिबद्धता (90 दिन के भीतर), डिस्चार्ज एप्लीकेशन भरना (60 दिन के भीतर), आरोप तय करना (60 दिन के भीतर), निर्णय देना (45 दिन के भीतर) और दया याचिका दायर करना (राज्यपाल के समक्ष 30 दिन में और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन में) जैसे जांच और विचारण के महत्वपूर्ण चरणों को सुव्यवस्थित किया गया है और निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

ii. त्वरित जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होना सुनिश्चित हो सके।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227, दिनांक 16.12.2025

iii. सीमित स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन प्रदान कर सकते हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित हो।

(ङ) सुधारात्मक पहल :

i. सामुदायिक सेवा: नए कानूनों में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है। अपराधियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत सामुदायिक बंधन बनाने का मौका मिलता है।

ii. संक्षिप्त विचारण के दायरे में विस्तार: अधिक अपराधों को शामिल करने के लिए अब संक्षिप्त विचारण के दायरे में विस्तार किया गया है, जिससे मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चत हुआ है।

(च) नए अपराध :

i. आतंकवादी कृत्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, मॉब लिंचिंग, झपटमारी, संगठित अपराध, तुच्छ संगठित अपराध आदि के नए अपराध जोड़े गए हैं।

ii. छोटी चोरी के मामले में, पहली बार अपराध करने वालों को केवल सामुदायिक सेवा के साथ दंडित किया जाता है, जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5000 रुपये से कम हो और जहां ऐसा मूल्य वापस कर दिया जाए या ऐसी संपत्ति लौटा दी जाए।

(छ) अनुपस्थिति में विचारण :

उद्घोषित अपराधियों के रूप में घोषित व्यक्तियों के लिए अनुपस्थिति में विचारण का एक नया प्रावधान न्यायालय को आरोपी व्यक्ति की अनुपस्थिति में विचारण संबंधी कार्रवाई करने और निर्णय सुनाने की अनुमति प्रदान करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्याय में ना तो देरी हो और ना ही इससे वंचित रखा जाए ।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227, दिनांक 16.12.2025

(ज) प्ली बार्गेनिंग :

प्ली बार्गेनिंग की गुंजाइश हेतु, अपराध का आरोपी व्यक्ति अदालत में आरोप तय करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्ली बार्गेनिंग के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है। यदि न्यायालय अभियुक्त की याचिका से संतुष्ट है, तो वह लोक अभियोजक, या मामले के शिकायतकर्ता तथा अभियुक्त को मामले के पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटान पर कार्रवाई करने के लिए अधिकतम 60 दिन का समय प्रदान करेगा, जिसमें अभियुक्त को मुआवजा देना शामिल हो सकता है। इस तरह के आवेदन को तय करने के लिए अदालत को 60 दिनों की समय अवधि दी गई है। पहले सीआरपीसी के पास ऐसी प्ली बार्गेनिंग की याचिका के लिए कोई समय-सीमा नहीं थी।

******